

प्रेस नोट दिनांक-05.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में जनता में भय एवं आतंक व्याप्त करने वाले अभियुक्त (1) रघुवीर सिंह पुत्र जगन्नाथ निवासी कण्ठीपुर (2) सुदामा पुत्र जागेश्वर (3) शिवचन्द्र पुत्र नित्यकिशोर (4) ललित किशोर पुत्र कल्लू (5) अनिल पुत्र जगदेव (6) द्वारिका पुत्र साधूराम (7) सिपाही (8) गोरेलाल पुत्रगण जौहरी निवासीगण बरगहा पुरवा (9) नज्जू खां पुत्र सुखौल अहमद निवासी सेसनपुरवा (10) भानू कुशवाहा पुत्र दिल्ली उर्फ दिलेदेश निवासी तरौहा (11) सनी कुशवाहा उर्फ सुशील पुत्र रामनारायण निवासी तेजीपुरवा (12) विजय पाण्डेय पुत्र नन्द किशोर निवासी कालूपुर पाही (13) अशोक पुत्र चुनकावन निवासी नई दुनिया (14) शिवकुमार पुत्र धर्मपाल निवासी चकजाफर (15) सचिन पुत्र शिवकुमार निवासी चकजाफर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 110 जी की कार्यवाही की गयी ।

(2). आज दिनांक 05.02.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस लाइन्स में शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के दौरान रिक्कूट आरक्षियों की ड्रिल का निरीक्षण कर आरटीसी प्रभारी को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों की परेड में सुधार करवायें एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान दें।

बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन्स का भ्रमण एवं निरीक्षण कर निम्न आदेश-निर्देश दिये गये:-

1. महोदय द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण कर डायल 112 के दो पहिया, 04 पहिया वाहनों में उपलब्ध फर्स्ट एड किट, दंगा नियंत्रण उपकरण, टूल किटों का निरीक्षण किया गया जिन वाहनों में बेंत रखे हुए थे उनमें सरकारी प्लास्टिक का बेंत रखने हेतु निर्देश दिये । पीआरवी चार पहिया वाहनों में फॉग लाइट लगवाने हेतु एवं वाहनों में जो भी कमियां हो उनकी मरम्मत हेतु प्रभारी परिवहन शाखा को निर्देश दिये गये ।

2. महोदय द्वारा जिला नियंत्रण कार्यालय का निरीक्षण कर जनरेटर की साफ-सफाई हेतु एवं कार्यालय की साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक रेडियो को निर्देश दिये। डियूटी में लगे पुलिस कर्मियों हेतु पीने के पानी एवं फर्नीचर की व्यवस्था हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया ।

3. महोदय द्वारा डायल112 कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्य को शीघ्र कराकर रंगाई पुताई कराने हेतु एवं नए सिरे से आरओ0 आईपी0 स्थापित करने हेतु प्रभारी डायल 112 को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

4. महोदय द्वारा क्वार्टर गार्ड में सलामी लेकर निरीक्षण किया गया ।

5. महोदय द्वारा रीडर कार्यालय, केश कार्यालय, जीडी कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, श्री आर0के0 सिंह प्रभारी डायल 112 एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पारिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती जनक दुलारी पत्नी श्री बैकुण्ठ सोनी निवासी बलदाऊगंज कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी बहू श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री अमित कुमार उसके साथ मारपीट कर लड़ाई-झगड़ा करती है एवं उसको घर से निकाल दिया है ।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में

मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 05.02.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकृपाल तथा उनकी टीम द्वारा पेट्रोल पम्प वृहद ग्राम अहिरी से अभियुक्त मुनउवर पुत्र सवू0 मुस्लिम निवासी पटहट थाना जनेह जनपद रीवा म0प्र0 को 01 किलो 100 ग्राम नाजायज सूखा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 23/2021 धारा 08/21 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 किलो 100 ग्राम नाजायज सूखा

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामकृपाल थाना मऊ
2. मुख्य आरक्षी संदीप उपाध्याय

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी, जिसके परिणाम श्री सुमित कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 248/15 धारा 420 भादवि0 के आरोपी विजय उर्फ गंगप्रसाद पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम रतौरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस अभियुक्त द्वारा वर्ष 2015 में नौकरी के नाम पर ठगी की गयी थी।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पांडे द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज बस चालकों को तथा प्राइवेट बस के चालकों एवं परिचालकों को तथा अन्य मोटर वाहन जीप विक्रम इत्यादि चालकों को एकत्र कर गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया साथ ही साथ बस चालकों को शराब के नशे में तथा नींद के होने पर गाड़ी न चलाने के लिए निर्देशित किया गया। यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित करते हुए यातायात नियमों के पूर्णता पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई। परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों को बसों पर रिफ्लेक्टर लगावा कर चलने के लिए प्रेरित किया गया तथा स्वयं बसों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। साथ ही साथ दोपहिया चालकों को चेक किया गया बिना हेलमेट वाले चालकों का चालान किया गया तथा उन्हें हेलमेट लगाकर चलने हेतु निर्देशित किया गया। पैदल चलने वाले यात्रियों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया साथ ही साथ उन्हें यह अवगत कराया गया कि अपने गांव और मोहल्ले वालों को भी पंपलेट पढ़ाएं तथा यातायात नियमों के प्रति दिए गए निर्देशों के प्रति उन्हें भी प्रेरित कर जागरूक करें।

(7). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 05.02.2021 को एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा बस स्टैंड कोठी तालाब मिशन रोड, सीआईसी रोड, एलआईसी चौराहा, पस्यौड़ा, सोनेपुर, जिला चिकित्सालय परिसर में, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बैंक, बस स्टैंड, अस्पताल आदि जगहों में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा थाना रैपुरा अन्तर्गत देवधा में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी मंदिर व गयागंज मुहल्ले में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा ग्राम मैदाना में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानू बाब मंदिर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री

हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।